राजस्थान सरकार

न्यायालय अति. जिला कलक्टर करौली(राज0)

पीठासीन अधिकारी सुदर्शनसिह तोमर आर.ए.एस

मुकदमा नम्बर 118/019 आर सी एम सए नं0 2019/00093 तारीख रजू 19.02.2019

1 सरकार जरिये तहसीलदार टोडाभीम जिला करौली :—प्रार्थी

बनाम

1 इन्द्राज पुत्र भम्बल
2 उम्मेद पुत्र भम्बल
3 कमल पुत्र भम्बल
4 सुलतान पुत्र भम्बल
5 बिरजी पत्नि भम्बल
समस्त जातियान मीना निवासीयान गावडी तहसील टोडाभीम जिला करौली

6 बैंक ऑफ बडौदा शाखा मोरडा

— अप्रार्थीयान

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितिः— 1 श्री रामभरोसी गुप्ता वकील अप्रार्थी नं. 6
2 पैरोकार सरकार तहसीलदार

निर्णय दिनांकः—28.11.2019

भूमिधारी तहसीलदार टोडाभीम ने अप्रार्थीयान के विरूद्व यह प्रार्थना पत्र रेफरेन्स का प्रस्तुत कर अवगत कराया है। कि आराजी खसरा नम्बर 45 रकवा 0.06 है0 ग्राम गावडी तहसील टोडाभीम मे स्थित है जिसका प्रार्थी लेण्ड होल्डर है। यह कि गत आराजी खसरा नम्बर 38 रकवा 14 वीघा सन् 1947 एवं इसके पश्चात गैरमुमकिन नदी के रूप मे दर्ज था परन्तु जमाबंदी सम्बत 2004 से 23 एवं जमाबंदी सम्बंत 2022 से 25 के खाता संख्या 1 मे यह भूमि नामान्तकरण संख्या 19 स नियमन होकर भम्बल पुत्र सुक्ला के खातेदारी मे दर्ज हो गई है। तत्पश्चात भू प्रबन्ध विभाग द्वार गत खसरा नम्बर 38 का नवीन खसरा नम्बर 45 बनाकर हाल जमाबंदी मे अप्रार्थीयान 1 ता 5 के नाम दर्ज रिकार्ड है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड मे दर्ज झील तालाब नदी नाले जलाशय आदि की भूमि पर निजी खातेदार अधिकार उदभूत नही होते है। इस प्रकार से यह अंकित हस्तानान्तकरण अवैध एवं स्वयं ही प्रभाव शून्य होने से निरस्त योग्य है। डी0बी0सिबिल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार मे माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 2.8.2004 के द्वारा नदी,नाले,जलाशय आदि की भूमि जो दिनांक 15.8.1947 मे राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। को वापिस सरकारी भूमि दर्ज करने एवं इसके बाद हुये परिवर्तन को अवैध घोषित किये जाने निर्देश है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है। कि खसरा नम्बर 45 रकवा 0.06 है0 वाके ग्राम गावडी को वापिस राजकीय भूमि गैरमुमकिन नदी को दर्ज किये जाने के आदेश दिये जावे।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र को साबित करने के लिऐ प्रार्थना पत्र के साथ रिपोर्ट पटवारी,मिसल बंदोवस्त सम्बत 2004 से 23 नकल जमाबंदी सम्बत 2022 से 25 मिलान क्षेत्रफल ,हाल जमांबदी संम्बंत 2072 से 2075 तक खसरा गिरदावरी नक्शा ट्रेस पेश की है।

प्रार्थी का प्रार्थना दर्ज पंजीका कर अप्रार्थीयान को जरिये नोटिस तलब किया गया अप्रार्थी नं. 1 ता 5 की विधिवत तामिल होने पर उपस्थित नही आये उनके खिलाफ दिनांक 13.03.2019 व 09. 10.2019 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई अप्रार्थी नं. 6 जरिये बकालान्तन उपस्थित आयो ओर जवाव पेश कर बताया गया है कि अप्रार्थी नं. 1 ता 5 ने हमारी शाखा से कास्त कृर्षि कार्य हेतू ऋण लिया हुआ है जिसका अभी चूकता नही हुआ है सम्पूर्ण ऋण की अदायगी नही हो तब तक रेफरेन्स स्वीकार नही करने का निवेदन किया है।

उभयपक्षकार अभिभाषकगणो की बहस सुनी तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पैरोकार सरकार ने अपने बहस कथन में तहसीलदार टोडाभीम द्वारा प्रस्तुर रेफरेन्स माननीय उच्च न्यायालय जयपुर की खण्डपीठ के अनुसार सही पेश किया गया है जिसकी ताहीद में साविक

व हाल रिकॉर्ड सामिल पत्रावली है जिसमे भूमि गैर मु. नदी थी जिसे नियमन गलत तरीके से किया गया है। प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जावे।

वकील अप्रार्थी नं. 6 ने अपने बहस कथन मे अपने जवाव को दोहराते हुए कथन कहा कि जब तक सम्पूर्ण ऋण की अदायगी नही हो तब तक प्रार्थी का रेफरेन्स स्वीकार नही फरमाया जावे।

हमने वकील अप्रार्थीयान एवं पैरोकार सरकार की बहस पर मनन किया तथा प्रस्तुत जवाव एवं प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया तथा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन करने पर पाया कि जमाबंदी सम्बंत 2022 से 25 के खाता संख्या 1 मे आराजी खसरा नं. 38 किस्म से गै0 मु0 नदी के नाम दर्ज रिकॉर्ड रही है जिसमे से कुछ रकवा अप्रार्थी के पूर्वज को नियमन करते हुए खातेदारी दर्ज कर दी गई थी जिसके भूप्रवंध विभाग द्वारा हाल खसरा नं. 45 रकवा 0.06 है0 भूमि कायम की गई है। इस आराजी मे से अप्रार्थी भम्बल पुत्र सुक्ला को आराजी खसरा नं. 38 गैर मु. नदी के रकवे को नियमन कर खातेदारी में आवंटन से दर्ज कर दिया गया है जिसमे हाल रिकॉर्ड जमाबंदी सम्बंत 2072 से 75 मे अप्रार्थीयान के नाम खातेदारी मे दर्ज होकर कास्त कर रहे है ओर इस भूमि का अप्रार्थी नं. 6 के यहा पर रहन रख दी गई है जहा पर वकील अप्रार्थी संख्या 6 का कथन है कि भूमि पर बहा पर यह है कि बैक के यहा पर गिरवी रख कर भूमि को रहन रखा गया है। बहा पर यह है कि इस आराजी के अलावा अप्रर्थी के नाम अन्य भूमि है। उस आराजी से अपना ऋण चूकता कर सकते है। यहा पर यह है कि भूमि साविक रिकॉर्ड में गैर मु0 नदी थी अप्रार्थी नं. 1ता 5 के पूर्वज को गलत तरीके से भूमि का नियमन होकर खातेदारी मे दर्ज हुई है ओर बाद में उसे बैक के यहा पर रहन रख दिया गया है। जो अवैद्य है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत उपनियम 1 ता 14 मे वर्णित आराजी राजस्व रिकार्ड मे दर्ज गोचर, झील,तालब,नदी,नाले,जलाशय आदि की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार उदभूत नही होते है। जो भी इन्द्राज हुये वो अवैध है। एवं स्वतः ही प्रभाव शून्य है। जो निरस्त योग्य है। डी0बी0सिविल जनहित याचिका सख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार मे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 2.8.2004 के अपने विस्तृत निर्णय मे उल्लेख किया हैं कि All land shown as drainage channels like nalla,rivers,tributaries etc. as on 15-8-1947 should be declared as Government land.Any conversions made after 15-8-1947 should be declared illegal.The relevant act and rules must be ammened accordingly. माननीय उच्च न्यायालय के खण्ड पीठ द्वारा जनहित याचिका मे पारित निर्णय से हम सहमत हैं।

अतः भूमिधारी तहसीलदार टोडाभीम का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 45 रकवा 0.06 है0 ग्राम गावडी तहसील टोडाभीम जिला करौली कि भूमि को बापिस मुताबिक जमाबंदी सम्बत 2022 से 2025 के अनुसार राजकीय गैरमुमकिन नदी दर्ज करने की स्वीकृति देने हेतु मूल पत्रावली राजस्व मण्डल अजमेर को भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 28.11.2019 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(सुदर्शन सिह तोमर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
करौली

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2020.01.21 16:32:53 IST
Reason: SelfAttested
Location: